राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1953/2013/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–सी, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स एडवान्स माईक्रो फर्टीलाईजर्स,
ई–39 रिको इण्ड0 एरिया, बगरू जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से
श्री पी.सी.जैन, अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 08/11/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 78/अपील्स–तृतीय/2012–13/सी में पारित आदेश दिनांक 04.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–सी, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23, 24, 55 एवं 58 सपठित नियम 48 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के तहत कायम मांग राशियों को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी ने द्वितीय एवं चतुर्थ त्रैमासिक बिक्री विवरण पत्र क्रमशः 60 एव 162 दिवस विलम्ब से पेश किये, जिस पर सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश में प्रत्यर्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 58 के तहत कुल शास्ति रूपये 60,850/– आरोपित की गई। इसके अलावा प्रत्यर्थी ने मासिक कर विलम्ब से जमा कराया जिस पर सशक्त अधिकारी ने पारित आदेश में प्रत्यर्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज रूपये 43,457/– आरोपित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए विवादित मांग राशियों को अपास्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थनं किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति व ब्याज

लगातार.....2

का अरोपण करने से पूर्व प्रत्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। राज्य सरकार द्वारा घोषित डीम्ड एसेसमेंट की सम्पूर्ण पात्रता रखती है फर्म द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.16()टैक्स/सीसीटी/11/2241 दिनांक 16.05.2011 (यथा संशोधित समय–समय) एवं दिनांक 30.09.2011 के पूर्व समस्त त्रैमासिक एवं वार्षिक बिक्री प्रथम कर जमा के प्रस्तुत कर दिये गये थे। पारित कर निर्धारण आदेश के अनुसार फर्म का देय कर रूपये 16,62,008/– बनता है जो फर्म द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल रूपये 15,25,292/– नगद एवं रूपये 1,50,549/– आईटीसी के रूप में अर्थात कुल 16,75,841/– (1525292 + 150549) जमा करवा दिये गये है इस तरह से फर्म का कोई कर कम जमा नहीं है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रत्यर्थी ने द्वितीय एवं चतुर्थ त्रैमासिक बिक्री विवरण पत्र क्रमशः 60 एवं 162 दिवस विलम्ब से पेश किये जिस पर सशक्त अधिकारी ने पारित आदेश में प्रत्यर्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 55 के तहत कुल शास्ति रूपये 60,850/– आरोपित की। इसके अलावा प्रत्यर्थी ने मासिक कर विलम्ब से जमा कराया जिस पर सशक्त अधिकारी ने पारित आदेश में प्रत्यर्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज रूपये 43,457/– आरोपित किया गया।

रिकार्ड के परिशीलन से पाया गया कि सशक्त अधिकारी ने शास्ति व ब्याज आरोपित करने से पूर्व प्रत्यर्थी को किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया। यहां यह उल्लखनीय है कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ12(92)एफडी/टैक्स/2011–46 दिनांक 15.09.2011 एवं आयुक्त महोदय के आदेश क्रमांक एफ16()टैक्स/सीसीटी/11/2241 दिनांक 16.05.2011 (यथा संशोधित समय–समय) के अनुसार दिनांक 15.09.2011 से पूर्व देय कर जमा करवा कर विवरणियां प्रस्तुत कर दिये जाने पर उक्त अधिसूचनानुसार देय ब्याज व शास्ति माफ होगी। प्रत्यर्थी ने सभी देय प्रपत्र एवं देय कर राजकोष में दिनांक 30.09.2011 से पूर्व जमा करा दिये थे जो कि कर निर्धारण आदेश के पैरा संख्या 8 के अनुसार प्रकट है तदनुसार प्रत्यर्थी के विरूद्ध आरोपणीय शास्ति एवं ब्याज अधिक था तथापि सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये एवं बिना विशेष कारण बताओ नोटिस जारी कर उसका पक्ष पूछे बिना आरोपित किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश उचित प्रतीत होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणामस्वरूप उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश प्रसारित किया गया।

8.11.2016

(मदन लाल)
सदस्य